

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ० प्र०, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक, 29 अगस्त 2018

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

विषय-

रिलायंस 4जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे० आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिफिशियल फाइबर केबिल (ओ०एफ०सी०) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1526/ 11-सी-एफपी/यूपी/24318/2017, दिनांक 23-11-2017, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या: 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवधानुसार रिलायंस 4जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे० आरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आर्टिफिशियल फाइबर केबिल (ओ०एफ०सी०) बिछाये जाने विषयक प्रकरण में आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के दृष्टिगत स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)

अनुसचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-4337/11-सी-एफपी/UP/Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 27, 2018

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दो प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेंट सेकेंड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक 875/11-सी-एफपी/24318/2018

प्रतिलिपि प्र० प्र० शासन को इस आशय से

से प्रेषित कि प्र० प्र० शासन को सूचित किया जाय कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।